CNR NO. UPGZ01-010813-2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1-वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2-प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

3-प्रतिवादी संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

4-प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित है।

15.10.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 67 ग

1- प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 23.07.2024 पत्रावली कागज संख्या 67 ग जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि पत्रावली उपरोक्त में प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 08 की आज की तिथि वास्ते सुनवाई नियत है, परन्तु उपरोक्त वाद की वादिनी ने पर्याप्त हित रखने के बावजूद ICICI बैंक, सिटीजन कॉपरेटिव बैंक, HDFC बैंक, मणापुरम फाइनेंस लि०, PNB मेट लाईफ पॉलिसी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एडलविश टोकियो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, TSI इण्डिया प्रा०लि०, NSDL को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त वाद में वादनी ने उक्त कम्पनियों/निगम से धन/सम्पत्ति/लाभ प्राप्त करने का दावा नाबालिग के माध्यम से न्यायालय में किया है। उक्त सभी पॉलिसी तथा बैंक खातों में नामिति का नाम भी वाद पत्र में इंगित/दर्शित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी व्यक्तियों/ संस्था/ कम्पनी /निगम इत्यादि को पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2- प्रार्थना पत्र कागज संख्या 67 ग के मार्जिन पर पृष्ठांकित करते हुए वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आपत्ति है। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। वादिनी द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाये जा चुके हैं। शेष किसी भी संस्था को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3- प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 23.07.2024 पत्रावली कागज संख्या 67 ग पर वादनी की तरफ से आपत्तिपत्र योजित कर आपत्ति की गयी है कि प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.07.2024 कागज संख्या 67 ग नाजायज ढंग से पत्रावली में विलम्ब करने की मंशा से योजित किया है। प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिन संस्थानों को आवश्यक पक्षकार बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह वाद हेतुक

दृष्टि से किसी भी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि वादनी द्वारा उक्त विविधवाद में वादनी/ याचनी को कु० अबिका सिंह (नाबालिग) की संरक्षिका नियुक्त किये जाने व कु० अबिका सिंह (नाबालिग) से संबंधित विधिक कार्यवाहियों के प्रबन्धन हेतु प्राधिकृत किये जाने की याचना की गयी है। वादनी द्वारा किसी भी पक्षकार से किसी भी प्रकार का /किसी भी तरह का कोई अनुतोष या लाभ प्राप्त की जाने की कोई याचना नहीं की गयी है। वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद केवल संरक्षिता हेतु योजित किया गया है, न कि उत्तराधिकार हेतु। इस कारण प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अपोषणीय है। प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा पूर्व में भी तरह तरह के अनावश्यक प्रार्थना पत्र व स्थगन देकर पत्रावली की कार्यवाही को अकारण ही लम्बित किया गया है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 08 पर दिनांक 04.12.2023 को अंकन 500/-रूपये, दिनांक 12.01.2024 को अंकन 5000/-रूपये तथा दिनांक 29.01.2024 को विलम्बन हेतु अंकन 5000/-रूपये का हर्जा व अंकन 5000/-रूपये बाबत साक्षी के आने जाने का खर्चा अधिरोपित किया गया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा आज तक उक्त हर्जा धनराशि कुल अंकन 15,500/-रूपये वादनी या उसके अधिवक्ता को अदा न करके निरन्तर न्यायालय के आदेश की अवमानना करते चले आ रहे हैं और अब पुनः वाद में अकारण वाद में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.07.2024 कागज संख्या 67ग पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कतई भी पोषणीय नहीं है, काबिले खण्डित होने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों को तथा प्रतिवादी संख्या 08 के पूर्व व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.07.2024 कागज संख्या 67ग को भारी हर्जे के साथ निरस्त किया जाकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हेतू व अवमानना किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 08 के विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही अग्रसारित करने की आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4- पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि यह वाद केवल विधिक संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु वादनी श्रीमती अमिता सिंह द्वारा योजित किया गया है। किसी भी स्तर पर खरीद-बेच की अनुमति के संदर्भ में नहीं है। यदि कोई खरीद-बेच होती भी है, तो वह न्यायालय के आदेश के अधीन होगी, जिसमें उपरोक्त प्रस्तावित पक्षकारों के विरुद्ध यदि कोई आदेश होना है तो न्यायालय सुनवाई का मौका दिया जायेगा। इसके भिन्न प्रार्थी द्वारा कोई तर्क इस संदर्भ में नहीं दिया कि आदेश 01 नियम 10 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित पक्षकार किस प्रकार आवश्यक पक्षकार हैं। प्रस्तावित पक्षकार विधिक वारिस नहीं हैं। मृतक के सम्भावित हिस्सेदार सभी पक्षकार बने हुए हैं, जिनमें कई सगे संबंधियों की कोई भी आपत्ति नहीं आई, अपितु वादिनी को पक्षकार बनाये जाने की सहमति दी गयी है। इस स्तर पर उपरोक्त प्रस्तावित पक्षकारों को वाद में प्रतिवादी बनाना आवश्यक प्रती नहीं होता है। तदानुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

CNR NO. UPGZ01-010813-2022

<u>**आदेश**</u>

1- प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 23.07.2024 पत्रावली कागज संख्या 67 ग निरस्त किया जाता है।

2- पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.10.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।